

फा.सं.एफ.1/12(1)/2023-भ.-III

संघ लोक सेवा आयोग

भर्ती III अनुभाग

पुनःपरीक्षित अंतिम संवीक्षा/लघुसूचीयन विवरण

पद का नाम	कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में संयुक्त निदेशक (फसल विकास निदेशालय) के पद की तीन (अ.पि.व. – 01, अना.-02) रिक्तियां।
विज्ञापन सं.	05/2023
रिक्ति सं.	23030501311

अनिवार्य योग्यताएं (अ.यो.)	<p><b>(क) शैक्षणिक:</b></p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि अर्थशास्त्र, कृषि विस्तार अथवा कृषि विज्ञान या कीट विज्ञान अथवा सूत्रकृमि विज्ञान या आनुवंशिकी एवं पादप प्रजनन या कृषि वनस्पति विज्ञान अथवा पादप जैव-प्रौद्योगिकी या वनस्पति रोग विज्ञान (प्लांट पैथोलॉजी) या वनस्पति शरीर क्रिया विज्ञान या बीज विज्ञान और प्रौद्योगिकी अथवा मृदा विज्ञान और कृषि रसायन विज्ञान में मास्टर डिग्री।</p> <p><b>अथवा</b></p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि इंजीनियरी में स्नातक डिग्री।</p> <p><b>(ख) अनुभव</b></p> <p>किसी सरकारी या अर्ध सरकारी संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्वायत्तशासी निकाय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान या कृषि विश्वविद्यालय में तिलहन या जूट या कपास या गन्ना या दालें या गेहूं या मोटे अनाजों या चावल जैसे खाद्य या नकदी फसलों के उत्पादन या योजना या विकास या विस्तार के क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव।</p> <p><b>वांछनीय योग्यताएं:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>उपर्युक्त पैरा (i) में यथानिर्धारित क्षेत्र या विषय में डॉक्टरेट</li><li>उपर्युक्त फसलों की तकनीकी रिपोर्ट लिखने का पांच वर्ष का अनुभव</li><li>दो वर्ष का प्रशासनिक अनुभव</li></ol>
----------------------------	--

**अपनाए गए  
मापदंड**

- i) संवीक्षा, उम्मीदवारों द्वारा ऑन-लाइन आवेदन में दी गई जानकारी और आवेदनों के साथ अपलोड किए गए समर्थित दस्तावेजों के आधार पर की गई है।
- ii) वांछनीय योग्यता (i) लागू की गई है।
- iii) आवेदनों की संवीक्षा पूर्णतया संबंधित पद के भर्ती नियमों के प्रावधानों के अनुसार की गई है।
- iv) संवीक्षा हेतु ऑन-लाइन भर्ती आवेदनों (ओआरए) में किए गए दावों पर ही शैक्षिक योग्यता/अनुभव के रूप में विचार किया गया है। केवल उन उम्मीदवारों के समर्थित दस्तावेजों की जांच की गई है, जिन्होंने ऐसी सूचना का दावा किया है जो उनकी अ.यो.-क, अ.यो.-ख और वां.यो. के संबंध में पद संबंधी उनकी पात्रता के लिए स्वीकार्य है। ओआरए के संगत मॉड्यूल में इनकी सूचना प्रदान किए बिना संलग्न किए गए दस्तावेजों पर विचार नहीं किया गया है।
- v) शोध संबंधी अनुभव को संगत माना गया है। पीएचडी योग्यता के दौरान 03 वर्ष से अधिक अनुभव की अवधि को केवल तीन वर्ष माना गया है।
- vi) अध्यापन पर संगत अनुभव के रूप में विचार नहीं किया गया है।
- vii) भर्ती (समन्वय एवं नीति) के परिपत्र सं.एफ.8/84/2010-भर्ती (समन्वय एवं नीति) दिनांक 23.12.2010 के अनुसार, अनुभव प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में होने चाहिए। तथापि, आवेदकों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुभव प्रमाण-पत्र जमा नहीं किए जाने पर, उनके अनुभव प्रमाण-पत्र पर मेरिट के आधार पर तभी विचार किया गया है, यदि उसमें समस्त अपेक्षित सूचना उपलब्ध हो।
- viii) नियुक्ति पत्रों, कार्यालय आदेशों, त्याग पत्रों, वेतन प्रमाण-पत्रों, सेवा प्रमाण-पत्रों और उम्मीदवार द्वारा स्वयं हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्रों या स्व-रोजगार प्रमाण-पत्रों को अनुभव के प्रमाण के रूप में नहीं माना गया है। ऐसे उम्मीदवारों को 'अपूर्ण' श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकार किया गया है।
- ix) जिन अनुभव प्रमाण-पत्रों पर कार्यों के स्वरूप का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, उन पर विचार नहीं किया गया है और 'अपूर्ण' के रूप में अस्वीकृत किया गया है। इसी प्रकार, ऐसे आवेदक जिन्होंने संगत अनुभव का दावा किया है लेकिन इसके समर्थन में संलग्न किया गया अनुभव प्रमाण-पत्र, दावा की गई सम्पूर्ण अवधि का नहीं है या किए गए दावे का समर्थन नहीं करता है, उन्हें अस्वीकृत कर दिया गया है। संगत अनुभव की केवल उस अवधि पर विचार किया गया है, जिसके लिए अपेक्षित/संगत अनुभव प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए गए हैं।
- x) कुछ उम्मीदवारों को एक से अधिक श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकार किया जा सकता है। उन्हें सर्वाधिक उपयुक्त श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकार किया गया है।

**नोट:-** आयोग द्वारा मानदंडों का निर्धारण, प्रत्येक मामले के आधार पर किया जाता है।

संवीक्षा विवरण आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर दिनांक 28/05/2024 को अपलोड किए गए थे, जिसके द्वारा अस्वीकृत उम्मीदवारों को अपनी अस्वीकृति के संबंध में दिनांक 09.06.2024 तक अभ्यावेदन देने का अवसर दिया गया था।

दिनांक 14/06/2024 तक 37 उम्मीदवारों से ई-मेल अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और इनकी जांच की गई है। विचाराधीन क्षेत्र के सभी आवेदनों का पुनःपरीक्षण किया गया है। ई-मेल और अभ्यावेदनों का पुनःपरीक्षण ऑनलाइन आवेदनों, शैक्षणिक योग्यताओं और उनमें किए गए अनुभव संबंधी दावों, ओआरए के साथ प्राप्त समर्थित दस्तावेजों और आयोग द्वारा अपनाए गए मापदंडों एवं मानदंडों के सन्दर्भ में किया गया है। तदनुसार, अनुवर्ती टिप्पणियां और प्रस्ताव निम्नानुसार हैं।

अनुक्रमांक 110 को जन्म तिथि प्रमाण के लिए मैट्रिकुलेशन प्रमाण-पत्र जमा करने के अध्यक्षीन अनंतिम रूप से लघुसूचीबद्ध किया गया था। अब उम्मीदवार ने ई-मेल के माध्यम से प्रमाण-पत्र जमा करा दिया है, अतः उसकी अनंतिमता की शर्त को हटा दिया गया है।

अनुक्रमांक 91 को नाम में भिन्नता के संदर्भ में शपथ-पत्र जमा करने के लिए अनंतिम रूप से लघुसूचीबद्ध किया गया था। अब इसे जमा करा दिया गया है, अतः उसकी अनंतिमता की शर्त को हटा दिया गया है।

अनुक्रमांक 198, 233, 250 को केन्द्रीय प्रपत्र में अ.पि.व. प्रमाण-पत्र जमा करने के लिए अनंतिम रूप से लघुसूचीबद्ध किया गया था। अब इन्हें जमा करा दिया गया है, अतः उनकी अनंतिमता की शर्त को हटा दिया गया है।

अनुक्रमांक 210 नवीनतम अ.पि.व. प्रमाण-पत्र जमा नहीं कर पाया है। अब उसे सामान्य उम्मीदवार के रूप में माना गया है।

अनुक्रमांक 207 को पी.एचडी नहीं होने के कारण अपूर्ण श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकार किया गया था। उन्होंने अब संगत दस्तावेज जमा करा दिया है। अतः उन्हें लघुसूचीबद्ध कर दिया गया है।

अनुक्रमांक 200 (बाद में जमा किया गया) की आवेदन संख्या बड़ी है। अतः उन्हें अ.पि.व. उम्मीदवार के रूप में विचार किया गया है।

अनुक्रमांक 226 वाले उम्मीदवार को अ.पि.व. श्रेणी के अंतर्गत लघुसूचीबद्ध किया गया है। उन्होंने अपने को अनारक्षित श्रेणी के लिए भी शामिल करने का अनुरोध किया है, जो संभव नहीं है।

अनुक्रमांक 05, 17, 68, 231, 271 को 'अपूर्ण मास्टर डिग्री/अंक-तालिका नहीं' श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकार किया गया है। उनके अभ्यावेदनों की जांच की गई है। परन्तु उन्होंने अपेक्षित दस्तावेजों को जमा नहीं किए हैं, अतः उनके अस्वीकृति की स्थिति को बरकरार रखा जाता है।

अनुक्रमांक 47, 206, 260 को 'अपूर्ण पी.एचडी अथवा मास्टर डिग्री नहीं' श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकार किया गया है। उनके अभ्यावेदनों की जांच की गई है। परन्तु उन्होंने अपेक्षित दस्तावेज जमा नहीं किए हैं, अतः उनकी अस्वीकृति की स्थिति को बरकरार रखा जाता है।

अनुक्रमांक 261 को एलईसी श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकार किया गया था, चूंकि उसके पास पी.एचडी नहीं है, साथ ही दूसरे मानदंड में उनका संगत अनुभव 9 वर्ष से कम है। अतः उनकी अस्वीकृति की स्थिति को बरकरार रखा जाता है।

अनुक्रमांक 13, 46, 55, 99, 105, 192, 220, 277 और 282 को एलईक्यू-ख श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकार किया गया है, क्योंकि उनके द्वारा ओआरए में किए गए दावे संगत नहीं थे। पुनः परीक्षण के बाद यह भी पाया गया है कि भर्ती नियमों और अपनाए गए मानदंडों के अनुसार उनके अनुभव संगत नहीं हैं। अतः उनकी अस्वीकृति की स्थिति को बरकरार रखा जाता है।

अनुक्रमांक 141, 184, 228 और 248 'अपूर्ण अनुभव प्रमाण-पत्र किए गए दावे से मेल नहीं खाती' श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकार किए गए थे। चूंकि किसी ने संगत अनुभव प्रमाण-पत्र जमा नहीं किए हैं, उनकी अस्वीकृति की स्थिति को बरकरार रखा जाता है।

अनुक्रमांक 234 को 'अपूर्ण कार्यों के स्वरूप का उल्लेख नहीं' श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकार किया गया था। अभ्यावेदन की जांच करने के बाद भी संगत अनुभव, 9 वर्ष या उससे अधिक के अपनाए गए मानदंड से कम है। उनकी अस्वीकृति की स्थिति को बरकरार रखा जाता है।

अनुक्रमांक 18, 29, 127, 135, 157 और 253 अ.पि.व./अना. श्रेणी में 9 वर्ष या उससे अधिक का अनुभव अथवा संगत क्षेत्र में पी.एचडी धारित करने का दावा नहीं करने के कारण, विचाराधीन क्षेत्र में नहीं थे। अतः उन्हें एलईसी (बढ़ाए गए मानदंड में कमी) श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकार किया गया था। इन उम्मीदवारों ने अब निम्नलिखित आधार पर अभ्यावेदन दिया है।

- यह पूछते हुए कि उन्हें क्यों अस्वीकार किया गया है और संवीक्षा सूची में उनके अनुक्रमांक क्यों नहीं हैं।

इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि रिक्ति विज्ञापनों में "चयन द्वारा भर्ती हेतु उम्मीदवारों के लिए अनुदेश और अतिरिक्त सूचना" के भाग 3 में स्पष्ट रूप से उन उपायों के बारे में उल्लेख किया गया है कि जब किसी पद के लिए अधिक संख्या में उम्मीदवार आवेदन करते हैं, तो संघ लोक सेवा आयोग किस प्रकार साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या को उचित सीमा में कम कर सकता है। इसे नीचे पुनः उद्धृत किया जाता है:-

"3. न्यूनतम अनिवार्य योग्यता: सभी आवेदकों को विज्ञापन में विनिर्दिष्ट पद से संबंधित अनिवार्य अपेक्षाओं और अन्य शर्तों को अनिवार्यतः पूरा करना होगा। उन्हें सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पूर्व वे यह संतुष्टि कर लें कि वे विभिन्न पदों के लिए निर्धारित कम-से-कम अनिवार्य योग्यताओं को पूरा करते हो। पात्रता के संबंध में सलाह देने संबंधी किसी भी पूछताछ पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

टिप्पणी – I: निर्धारित अनिवार्य योग्यताएं न्यूनतम हैं और केवल इन योग्यताओं को पूरा कर लेने से ही उम्मीदवार साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने के हकदार नहीं हो जाते। "

टिप्पणी – II: प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या अधिक होने पर, आयोग निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक तरीकों से साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या को उपयुक्त सीमा तक कम कर सकता है:

- (क) "वांछनीय योग्यता (वा.यो.) या किसी एक या सभी वांछनीय योग्यताओं के आधार पर यदि एक से अधिक वांछनीय योग्यता निर्धारित है।"
- (ख) विज्ञापन में निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं की अपेक्षा उच्चतर शैक्षिक योग्यता के आधार पर।
- (ग) विज्ञापन में निर्धारित न्यूनतम अनुभव की अपेक्षा संगत क्षेत्र में अधिक अनुभव के आधार पर।
- (घ) अनिवार्य योग्यताएं प्राप्त करने के पहले या बाद के अनुभव को जोड़कर।
- (ङ) ऐसे मामलों में भी अनुभव को शामिल करके जिनमें अनिवार्य योग्यता (अ.यो.) या वांछनीय योग्यता (वा.यो.) के लिए कोई अनुभव उल्लिखित नहीं है।

(च) भर्ती परीक्षण का आयोजन करके सामान्यतया अंतिम योग्यता निर्धारित करने के लिए भर्ती परीक्षण के अंकों और साक्षात्कार के अंकों का वेटेज 75:25 के अनुपात में दिया जाता है।

इसलिए उम्मीदवारों को चाहिए कि वे संगत क्षेत्र में न्यूनतम शैक्षिक अर्हता से अधिक जो भी योग्यताएं तथा अनुभव रखते हो, सभी का उल्लेख करें।”

संबंधित उम्मीदवारों ने या तो इन अनुदेशों को नहीं पढ़ा है या इसको समझने में असमर्थ रहे हैं। इसलिए, लघुसूचीबद्ध करने हेतु इनके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

इस प्रकार, प्राप्त सभी ई-मेल/अभ्यावेदनों की जांच करने के पश्चात्, एक और उम्मीदवार को लघुसूचीबद्ध किया गया है। शेष उम्मीदवारों की अनंतिमता की शर्त को हटा दिया गया है। तथापि, शेष उम्मीदवारों द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण और औचित्य संतोषप्रद नहीं पाए हैं और ये आयोग के प्रारंभिक निर्णय को संशोधित और परिवर्तित करके इन उम्मीदवारों को लघुसूचीबद्ध करने के लिए उपयुक्त एवं विश्वसनीय आधार नहीं हैं। इसलिए, इनकी अस्वीकृति की स्थिति को बरकरार रखा जाता है।

तदनुसार, संवीक्षा को निम्नानुसार संशोधित किया गया है:

### संवीक्षा

#### 01 अ.पि.व. रिक्ति

मानदंड: (i) अ.यो. (क) + अ.यो.(ख) + वां.यो. (i) अथवा

(ii) अ.यो. (क) + अ.यो.(ख) को बढ़ाकर 09 वर्ष या उससे अधिक कर दिया गया है।

(i) अ.यो. (क) + अ.यो.(ख) + वांछनीय योग्यता (i)

#### साक्षात्कार में बुलाए जाने हेतु:

##### अनुक्रमांक:-

196	200-34*	207	212	226	250
251	274	284			

\* समामेलित

(09 उम्मीदवार)

#### अस्वीकृत:

##### एलईक्यू - 'ख'

##### अनुक्रमांक:-

191	192	193	203	205	213
217	220	227	229	237	242
243	244	246	247	252	254

(23 उम्मीदवार)

अपूर्ण:  
अनुक्रमांक

कारण	अनुक्रमांक
अनुभव प्रमाण-पत्र के बिना	232 268 276 279
अनुभव प्रमाण-पत्र मेल नहीं खाता तथा कोई अनुभव प्रमाण-पत्र नहीं	216
अनुभव प्रमाण-पत्र दावे से मेल नहीं खाता	195 222 228 257 273
पीएचडी एवं मास्टर डिग्री/ अंक-तालिका नहीं	206 231 260
नियुक्ति/त्याग पत्र/तैनाती आदेश/सेवा प्रमाण-पत्र/कार्यालय आदेश/वेतन प्रमाण-पत्र/ उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत स्व-प्रमाण-पत्र/स्व-रोजगार प्रमाण-पत्र आदि को अनुभव प्रमाण-पत्र के रूप में विचार नहीं किया गया है।	

(13 उम्मीदवार)

(ii) अ.यो. (क) + अ.यो. (ख) को बढ़ाकर 09 वर्ष या उससे अधिक कर दिया गया है।

साक्षात्कार में बुलाए जाने हेतु:

अनुक्रमांक:-

189 198 233

(03 उम्मीदवार)

अस्वीकृत:

एलईक्यू 'ख'

अनुक्रमांक:-

193^ 203^ 204 208 211 213^ 221 224 240 247^

282

(11 उम्मीदवार)

^ मानदंड (i) के तहत भी विचार किया गया।

एलईसी :-

अनुक्रमांक:

212^ 261

(02 उम्मीदवार)

^ मानदंड (i) के तहत भी विचार किया गया और लघुसूचीबद्ध किया गया।

अपूर्ण:

## अनुक्रमांक

कारण	अनुक्रमांक
अनुभव प्रमाण-पत्र में कार्यों के स्वरूप का कोई उल्लेख नहीं	234
अनुभव प्रमाण-पत्र के बिना	264 <sup>^</sup>
अनुभव प्रमाण-पत्र दावे से मेल नहीं खाता	248
डिग्री/अंक-तालिका नहीं	271
डिग्री/अंक-तालिका नहीं और अनुभव प्रमाण-पत्र किए गए दावे से मेल नहीं खाता	231 <sup>^*</sup> , 254 <sup>^</sup>
नियुक्ति/त्याग पत्र/तैनाती आदेश/सेवा प्रमाण-पत्र/कार्यालय आदेश/वेतन प्रमाण-पत्र/ उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत स्व-प्रमाण-पत्र/स्व-रोजगार प्रमाण-पत्र आदि को अनुभव प्रमाण-पत्र के रूप में विचार नहीं किया गया है	

(06 उम्मीदवार)

\* एलईक्यू ख के रूप में भी अस्वीकार किया जा सकता था।

<sup>^</sup> मानदंड (i) के तहत भी विचार किया गया है।

## 02 अनारक्षित रिक्ति

मानदंड: (i) अ.यो. (क) + अ.यो.(ख) + वां. यो. (i)

(ii) अ.यो. (क) + अ.यो.(ख) को बढ़ाकर 09 वर्ष या उससे अधिक कर दिया गया है।

(i) अ.यो. (क) + अ.यो.(ख) + वां.यो. (i)

## साक्षात्कार में बुलाए जाने हेतु:

अनुक्रमांक:-

12 38 40 41 50 52 53 86 87 91 96 110

118 156 170 182 186

(17 उम्मीदवार)

## अस्वीकृत :-

एलडीक्यू (i)

अनुक्रमांक :

65

(01 उम्मीदवार)

## एलईक्यू – 'ख'

अनुक्रमांक :

02 08 13 14 15

24 43 49 54 55

56	66	67	72	79
93	99	105	108	121
122	124	128	140	142
143	145	147	158	160
161	165	166	169	171

(35 उम्मीदवार)

अपूर्ण:  
अनुक्रमांक

कारण	अनुक्रमांक
कार्यों के स्वरूप का कोई उल्लेख नहीं और अनुभव प्रमाण-पत्र के बिना	181
अनुभव प्रमाण-पत्र दावे से मेल नहीं खाता	39 48 81 104 112 134 138 141
अपूर्ण; वांछनीय योग्यता	155
पीएचडी एवं मास्टर डिग्री/ अंक-तालिका नहीं	05* 06* 30* 47* 97* 111* 148* 150* 175*
गलत दस्तावेज अपलोड किए गए।	75
नियुक्ति/त्याग पत्र/तैनाती आदेश/सेवा प्रमाण-पत्र/कार्यालय आदेश/वेतन प्रमाण-पत्र/ उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत स्व-प्रमाण-पत्र/स्व-रोजगार प्रमाण-पत्र आदि को अनुभव प्रमाण-पत्र के रूप में विचार नहीं किया गया है।	

(20 उम्मीदवार)

\* एलईक्यू-ख के रूप में भी अस्वीकार किया जा सकता था।

(ii) अ.यो. (क) + अ.यो. (ख) को बढ़ाकर 09 वर्ष या उससे अधिक कर दिया गया है।

**साक्षात्कार में बुलाए जाने हेतु:**

**अनुक्रमांक:**

07 16 40^ 41^ 42 44 77 119 210#

(09 उम्मीदवार)

# अ.पि.व का दावा किया गया परन्तु नवीनतम अ.पि.व. प्रमाण-पत्र जमा नहीं किया, अतः सामान्य उम्मीदवार के रूप में माना गया है।

^ मानदंड (i) के तहत भी विचार किया गया है। मानदंड (i) के तहत भी लघुसूचीबद्ध किया गया है।

अतः मानदंड (ii) के तहत लघुसूचीबद्ध किए गए उम्मीदवारों की वास्तविक संख्या केवल 07 है।

**अस्वीकृत:-**



एलईक्यू ख:-

अनुक्रमांक:-

35 46 49^ 70 73 82 93^ 116^ 129 136 140^ 142^  
146 144 152 163 176 179 183

(19 उम्मीदवार)

^ मानदंड (i) के तहत भी विचार किया गया है।

एलईसी:-

अनुक्रमांक:-

12^ 23 50^ 155^^ 172

(05 उम्मीदवार)

^ मानदंड (i) के तहत भी विचार किया गया है और लघुसूचीबद्ध किया गया।

^^ मानदंड (i) के तहत भी विचार किया गया है और वहां भी अस्वीकृत किया गया है।

अपूर्ण:-

अनुक्रमांक.:

कारण	अनुक्रमांक
अनुभव प्रमाण-पत्र के बिना	88
अनुभव प्रमाण-पत्र किए गए दावे से मेल नहीं खाता	92 184
डिग्री/अंक-तालिका नहीं	68 30*^
डिग्री/अंक-तालिका नहीं एवं अनुभव प्रमाण-पत्र दावे से मेल नहीं खाता	17
नियुक्ति/त्याग पत्र/तैनाती आदेश/सेवा प्रमाण-पत्र/कार्यालय आदेश/वेतन प्रमाण-पत्र/ उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत स्व-प्रमाण-पत्र/स्व-रोजगार प्रमाण-पत्र आदि को अनुभव प्रमाण-पत्र के रूप में विचार नहीं किया गया है।	

(06 उम्मीदवार)

^ मानदंड (i) के तहत भी विचार किया गया है।

\* एलईक्यू ख के रूप में भी अस्वीकार किया जा सकता था।

शेष सभी आवेदनों को एलडीक्यू (i) {वांछनीय योग्यता (i) में कमी} या एलईक्यू-ख {अनिवार्य योग्यता ख में कमी} के रूप में उनके द्वारा वांछनीय योग्यता (i) का दावा नहीं करने के आधार पर या 09 वर्ष से कम का अनुभव होने के कारण अस्वीकार कर दिया गया है।

(123 उम्मीदवार)

इस पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की सूची उनके **अनुक्रमांक** सहित आयोग की वेबसाइट में मुख्य पृष्ठ>>भर्ती>>भर्ती मामलों की स्थिति (विज्ञापन-वार)>> आवेदकों की सूची में अपलोड की गई है।

**संकेतक:**

एलईसी- बढ़ाए गए मानदंड में कमी।

ईसी – अनुभव प्रमाण-पत्र।

एनओडी- कार्य का स्वरूप।

एलईक्यू – ख (अनिवार्य योग्यता ख में कमी)।

एलडीक्यू-i (वांछनीय योग्यता – (i) में कमी।

परामर्शदाता /उप सचिव (भ.-III)

किसी भी विसंगति की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।